

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांक:एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/जेएसए/2021/115323-535 दिनांक:12/07/2021

आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त, राजस्थान।

विषय:-जल शक्ति अभियान-"कैच द रेन" के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ:-ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक
307-389 दिनांक 16.06.2021 एवं 650-741 दिनांक 01.07.2021 के क्रम में।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2021 को "विश्व जल दिवस" के अवसर पर जल शक्ति अभियान-"कैच द रेन" का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है, जिसके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य की सभी संबंधित योजनाओं के तत्वाधान में जल संरक्षण एवं वर्षा जल संबंधी समस्त कार्यों को सम्मिलित किया जाना है। अभियान की अवधि भारत सरकार द्वारा 22 मार्च, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक निर्धारित की गई है।

राजस्थान राज्य के लिए वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि राज्य में कोई सतत बहने वाली नदी अथवा जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, जो कि राज्य के सभी हिस्सों को आवश्यक जल की आपूर्ति कर सके। ऐसी स्थिति में राज्य में वर्षा जल के समुचित संग्रहण के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

जल शक्ति अभियान-कैच द रेन के अंतर्गत आपके स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:-

1. अभियान के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यों का चिन्हिकरण कर कार्यों का प्राथमिकीकरण किया जाये एवं सभी कार्यों को मानसून पूर्व पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि इन कार्यों का अधिकतम लाभ मानसून के दौरान प्राप्त किया जा सके।
2. पूर्व निर्मित वर्षा जल संरक्षण ढांचों के चैनल्स एवं कैचमेंट एरिया में उत्पन्न अवरोधों को हटाया जाये।
3. भारत सरकार द्वारा प्रगति की समीक्षा हेतु ऑनलाईन पोर्टल क्रियाशील होने तक अभियान के अंतर्गत अर्जित प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
4. ऑनलाईन पोर्टल के क्रियाशील होने पर पोर्टल पर नियमित रूप से प्रगति अपलोड करवाई जाये।
5. सरकारी कार्यालयों/भवनों पर राज्य एवं केन्द्र द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि का उपयोग कर रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने का कार्य प्राथमिकता से संपादित किया जाये।
6. निकायों द्वारा अभियान में चिह्नित एवं प्रस्तावित कार्यों के तकमीने RUIDP, SOR 2017 दरों पर एवं उक्त SOR में अनुपलब्ध आईटम्स हेतु PWD BSR/प्रचलित न्यूनतम दरों पर सक्षम अनुमोदन के साथ DPR अविलम्ब निदेशालय में प्रस्तुत करें।

7. स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपादित गतिविधियों के साथ अभियान की गतिविधियों का समन्वय।
8. अभियान के अंतर्गत मानसून के दौरान सघन वृक्षारोपण कार्य संपादित करवाये जाये।

जल शक्ति अभियान—“कैच द रेन” हेतु श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, अधिशाषी अभियंता (मोबाईल नं. 9413348355) निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग को नोडल अधिकारी मनोनित किया जाता है, जो कि अभियान के अन्तर्गत निकायों में संपादित कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक दूरी एवं अन्य सभी सावधानियां बरतते हुए जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु अधिकाधिक प्रयास किये जाकर, जल शक्ति अभियान को सफल बनायें।




(दीपक नंदी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: एफ.55()पीए/सीई/डीएलबी/जेएसए/2021/115536-547 दिनांक: 12/07/2021

प्रतिलिपी:-

1. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, अधिशाषी अभियंता निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. सुरक्षित पत्रावली।



(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता